भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2970

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

†2970. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) द्वारा देश में विशेषकर परभणी, महाराष्ट्र में ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में निभाई गई भूमिका का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में निजी क्षेत्र की संस्थाओं अथवा गैर-सरकारी संगठनों के साथ कोई भागीदारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एनआरएलएम के अंतर्गत युवाओं को प्रदान किए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एनआरएलएम और निजी क्षेत्र की संस्थाओं अथवा गैर-सरकारी संगठनों के बीच कोई भागीदारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) एवं (ख): दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण कौशल प्रभाग ग्रामीण निर्धन युवाओं के लाभकारी रोजगार हेतु कौशल विकास के क्षेत्र में देश से गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से निम्नलिखित दो केंद्र

प्रायोजित योजनाओं अर्थात् दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) को कार्यान्वित कर रहा है। योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

i. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई): डीडीयू-जीकेवाई 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण निर्धन युवाओं के लिए एक नियोजन-संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण निर्धन युवाओं को रोजगारपरक कौशल से सशक्त बनाता है और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है, और इस प्रकार उन्हें न्यूनतम वेतन पर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार प्रदान करता है। डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (50%), महिलाओं (33%) और विकलांगों (5%) का सामाजिक समावेश सुनिश्चित करता है। यह कार्यक्रम 'परियोजना मोड' में राज्यों के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को परियोजनाओं की स्वीकृति देकर कार्यान्वित किया जा रहा है। पीआईए कोई भी ऐसी संस्था हो सकती है जो:

i. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठन,
ii. नीति आयोग के साथ पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ),
iii. भारतीय न्यास अधिनियम या किसी राज्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या किसी राज्य सहकारी समिति या बहु-राज्य सहकारी अधिनियम या कंपनी अधिनियम 2003 या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंजीकृत, या स्वयं सहायता समूह एवं उनके संघ अर्थात् क्लस्टर स्तरीय संघ/ब्लॉक स्तरीय संघ,
iv. स्टार्ट-अप आदि को छोड़कर तीन वर्ष से अधिक पुरानी संस्था।

v. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई): आरएसईटीआई, डीएवाई-एमआरएलएम के अंतर्गत एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और कौशल भारत मिशन के एक रणनीतिक अंग के रूप में कार्य करता है, जो न्यूनतम 70% नियोजन अधिदेश के साथ स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एमएसडीई के सामान्य मानदंडों के तहत संचालित होता है। यह 18-50 वर्ष आयु के ग्रामीण युवाओं को दो वर्षों तक मार्गदर्शी सहायता के साथ पूरी तरह वित्त पोषित, मुख्यतः आवासीय, अल्पकालिक मांग-संचालित प्रशिक्षण प्रदान करते हुए स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यम विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रायोजक बैंकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच त्रिपक्षीय भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जिसमें प्रत्येक जिले में एक आरएसईटीआई की स्थापना का अधिदेश है, जिसका प्रबंधन लीड बैंकों द्वारा किया जाता है और बुनियादी ढांचे के लिए ₹2 करोड़ की सहायता प्रदान की जाती है।

डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के अंतर्गत प्रशिक्षित और नियोजित/स्व रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों का राज्यवार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I एवं II** में दिया गया है।

(ग): परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एनआरएलएम के अंतर्गत डीडीयू-जीकेवाई एवं आरएसईटीआई के तहत योजना की शुरुआत से वर्तमान तक युवाओं को प्रदान किए गए रोजगार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र	**प्रशिक्षित (अद्यतित)**	**नियोजित (अद्यतित)**	**प्रशिक्षित (जनवरी 2026 तक)**	**स्व रोजगार प्राप्त (जनवरी 2026 तक)**
परभणी	1170	682	11625	8544
जालना	3359	1868	10582	8197

स्रोत: महाराष्ट्र राज्य।

(घ) जी नहीं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2970 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत योजना की शुरुआत से जनवरी 2026 तक प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण:

क्र.सं.	**राज्य**	**संचयी योग (जनवरी 2026 तक)**	
		प्रशिक्षित	**नियोजित**
1	आंध्र प्रदेश	148692	119509
2	अरुणाचल प्रदेश	2435	1119
3	असम	86136	53890
4	बिहार	80518	48965
5	छत्तीसगढ़	59575	34682
6	गुजरात	32404	21146
7	हरियाणा	56041	40924
8	हिमाचल प्रदेश	19793	11605
9	जम्मू और कश्मीर	72602	45618
10	झारखंड	82754	44192
11	कर्नाटक	56911	37537
12	केरल	76984	46996
13	मध्य प्रदेश	93391	54778
14	**महाराष्ट्र**	**71011**	**48146**
15	मणिपुर	7913	4254
16	मेघालय	9070	5390
17	मिजोरम	3478	2047
18	नागालैंड	8150	5278
19	ओडिशा	218770	177853
20	पंजाब	54075	30048
21	राजस्थान	87409	47009
22	सिक्किम	3306	1951

23	तमिलनाडु	80161	76040
24	तेलंगाना	75165	53991
25	त्रिपुरा	13221	7905
26	उत्तर प्रदेश	254238	107775
27	उत्तराखंड	25704	16153
28	पश्चिम बंगाल	45273	30838
29	पुदुचेरी	3154	1986
30	अं. नि. द्वीप समूह	1017	567
	कुल	**1829351**	**1178192**

स्रोत: कौशल भारत पोर्टल

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2970 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

आरएसईटीआई के अंतर्गत योजना की शुरुआत से जनवरी 2026 तक प्रशिक्षित और स्व रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण:

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**योजना की शुरुआत से जनवरी 2026 तक संचयी**	
		प्रशिक्षित	**स्व रोजगार प्राप्त**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5769	4516
2	आंध्र प्रदेश	188687	139549
3	अरुणाचल प्रदेश	4782	2845
4	असम	195151	128659
5	बिहार	391373	280721
6	छत्तीसगढ़	174726	124248
7	दादरा और नगर हवेली	9046	6017
8	गोवा	368	57
9	गुजरात	357124	252656
10	हरियाणा	198031	131775
11	हिमाचल प्रदेश	87085	60545
12	जम्मू और कश्मीर	122400	89915
13	झारखंड	246330	170518
14	कर्नाटक	438049	319424
15	केरल	164219	126134
16	लक्षद्वीप	2596	1583
17	मध्य प्रदेश	469832	329448
18	**महाराष्ट्र**	**345885**	**255600**
19	मणिपुर	9610	6748
20	मेघालय	24936	14316
21	मिजोरम	9753	8223

22	नागालैंड	5150	3518
23	ओडिशा	306686	238389
24	पुदुचेरी	11741	8683
25	पंजाब	162042	111533
26	राजस्थान	452820	334417
27	सिक्किम	6200	4366
28	तमिलनाडु	354505	267427
29	तेलंगाना	107790	82909
30	त्रिपुरा	41580	27248
31	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	6077	4052
32	उत्तर प्रदेश	799436	586863
33	उत्तराखंड	106093	77038
34	पश्चिम बंगाल	198570	143964
	कुल :	**6004442**	**4343904**

स्रोत: एनएसीईआर